कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,रायपुर (छत्तीसगढ़)

तृतीय तल, उद्योग भवन, रायपुर
Phone No. 0771-2436450, Email ID: dticraipur@gmail.com

क्रमांक / जिव्याउके–रा / समन्वय / 2023 / 4274 रायपुर, दिनांक 12 SEP 2023

भू–आबंटन हेतु आवेदन प्राप्त करने बाबत् सूचना

नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमा क्षेत्रान्तर्गत "अर्बन कॉटेज एंड सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क की स्थापना किया जाना है। उक्त इण्डस्ट्रीज पार्क में युवाओं के स्वरोजगार / स्टार्टअप गतिविधियों के लिए इंदिरा स्मृति वन दलदल सिवनी के पास स्थित भूमि प.ह.नं. 41 ग्राम दलदल सिवनी खसरा नबंर 828 / 1 मे रोड, नाली, पानी, बिजली एवं अन्य सुविधाओं के साथ नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है। जहां पर 450 वर्गमीटर के भूखंड है। उक्त भूखंडों में छोटे लघु कुटीर उद्योग एवं सेवा उद्योग स्थापना, संचालन" के कार्य हेतु इच्छुक उद्यमियों / संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, तृतीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नंबर–1, तेलीबांधा, रायपुर में प्रस्तुत करना होगा। आवेदनों के आधार पर भूमि का आबंटन कलेक्टर जिला–रायपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा ''प्रथम आओ प्रथम पाओ'' सिद्धांत पर किया जायेगा। इस हेतु विस्तृत विवरण, नियम शर्ते नगर निगम की वेबसाईट www.nagarnigamraipur.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये गये आवेदन पत्रक के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, इकाई का प्रस्तावित ले–आउट, उद्यमी / फर्म / कम्पनी / संस्था का पैन कार्ड एवं राशि रूपये 20,000.00 का डिमांड ड्राफ्ट जो आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से देय होगा, जमा करना होगा।

(ए0 एच0 यजदानी)
मुख्य महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर

नियम एवं शर्तेः–

1. आवेदक द्वारा आवेदन के साथ दस्तावेज संलग्न कर बंद लिफाफे में नाम, पता, मोबाईल नं. अंकित कर उद्यम का प्रकार –...................... लिखकर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, तृतीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नंबर–1, तेलीबांधा, रायपुर में जमा करेंगे।
2. इच्छुक उद्यमी राशि रू. 20,000.00 का डिमांड ड्राफ्ट आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से बनाकर आवेदन के साथ संलग्न कर जमा करेंगे।
3. लगाए जाने वाला उद्यम कुटीर, लघु मध्यम उद्योग संचालन से ही संबंधित होना चाहिए। मादक, नशीली पदार्थो का उत्पादन, भण्डारण पूर्णतः वर्जित होगा।
4. ग्रामीण एवं कुटीर औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमोदित मानचित्र के अनुरूप भूखंड विकसित किये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ संलग्न परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर तथा औचित्यपूर्ण होने की स्थिति में एक आवेदक को अधिकतम 20,000 वर्गफुट भूखण्ड आबंटन किया जा सकेगा।
5. उद्यमी, स्व–सहायता समूह (महिला/पुरूष/महिला–पुरूष मिश्रित), स्थानीय युवा क्लब, स्थानीय संगठन या प्राइवेट व्यक्ति हो सकते है।
6. कोई भी शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय संस्था, संगठन या युवा क्लब योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नही होंगे।
7. उद्यमी जिले/शहर के निवासी हो। उपरोक्त सभी प्रकार के लाभार्थी अनिवार्यतः उसी नगरीय निकाय क्षेत्र के होने चाहिए जहॉ UIPA संचालित है। इसके शिथिलीकरण का प्रावधान जिला स्तरीय कियान्वयन एवं स्वीकृति समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
8. उद्यमियों को बिजनेस प्लान के आधार पर मशीनरी तथा कार्यशील पूंजी हेतु बैंक से ऋण, विभिन्न योजनाओं अतर्गत पात्रतानुसार अनुदान/सब्सिडी अथवा योजनांतर्गत किफायती ब्याज दर ऋण लेने की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास संबंधित विभाग द्वारा किये जायेंगे।
9. स्व–सहायता समूह एवं व्यक्तिगत आवेदक एक ही व्यवसाय करना चाहते हैं तो UIPA में उद्योग लगाने हेतु व्यक्तिगत आवेदक को वरीयता दी जावेगी। छ.ग के युवाओं के रोजगार में प्राथमिता दी जायेगी।
10. चयनित उद्यमी को UIPA में शहर के आजीविका संवर्धन हेतु नगरीय निकाय की ओर से मूलभूत/आधारभूत/बुनियादी संरचना सुविधाये जैसे– आंतरिक सड़क, विद्युत, जल एवं नाली व्यवस्था, वर्कशेड भण्डारण व्यवस्था, शौचालय, मार्केटिंग सपोर्ट, तकनीकी मार्गदर्शन इत्यादि उपलब्ध कराये जायेंगे। इसमें सिर्फ प्लॉट नगर पालिक निगम रायपुर के माध्यम से मूलभूत सुविधाओ के साथ निर्मित कर उपलब्ध किये जायेंगे, जिनमें यूजर चार्ज आधारित कार्य स्थल (वर्क स्पेस) प्रदान किया जावेगा। स्थल को केवल उद्यम संचालित करने के लिए अस्थायी रूप से प्रदान किया जायेगा। इसमें कोई भी अपना अधिकार प्रस्तुत नही कर सकेगा।
11. प्रथम वर्ष के यूजर चार्ज को पूर्णरूप से जमा करने के पश्चात् अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा। अनुबंध निष्पादन के उपरांत कार्यादेश जारी किया जाएगा।

कमशः 2....

Scanned by CamScanner

12. स्थल उपलब्धता दिनांक (कार्यदेश दिनांक) से 01 माह के अंदर ईकाई स्थापना का कार्य किया जायेगा, तथा अधिकतम 3 माह में स्थापना कार्य पूर्ण करना होगा। निर्धारित अवधि में ईकाई स्थापना न करने पर स्थल उपलब्धता निरस्त कर अन्य इच्छुक आवेदकों को वरीयता सूची के आधार पर स्थल उपलब्ध कराई जायेगी।
13. यूजर चार्ज प्रत्येक उद्यमी के द्वारा अगामी वर्ष हेतु वर्ष प्रारंभ होने के 01 माह पूर्व 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की क्रमोत्तर वृद्धि सहित जमा किया जाना होगा। भुगतान विलम्ब होने की दशा पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अधिभार आरोपित किया जायेगा। भुगतान 03 माह से ज्यादा विलम्ब होने की दशा में आबंटित स्थल निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा एवं बकाया राशि की वसूली छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानों के तहत् की जायेगी।
14. नगरीय निकाय द्वारा UIPA अंतर्गत निर्मित सार्वजनिक अधोसंरचना का संधारण एवं रखरखाव किया जावेगा एवं व्यक्तिगत यूनिट के रखरखाव हेतु आवश्यक राशि का प्रावधान यूजर चार्ज से किया जावेगा।
15. भू–आबंटन ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति–2023–24 एवं छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिसूचना दिनांक 02.05.2023 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत किया जायेगा।
16. यूजर चार्ज आधारित वर्क स्पेस/स्थल/भूखण्ड प्राथमिक रूप से निगम द्वारा तैयार कर प्रदान किया जावेगा। प्राप्त होने वाले वर्क स्पेस का संधारण रंगरोगन, विद्युत देयक एवं विद्युत मीटर संयोजन से संबधित् समस्त कार्य चयनित उद्यमी की होगी।
17. UIPA हेतु डी.पी.आर. परियोजना प्रस्ताव जमा करना होगा।
18. UIPA अंतर्गत जो भी गतिविधियां ली जावेंगी, वह निम्न शर्तो को पूर्ण करती हो,
    (क) स्थान आधारित गतिविधि हो ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके।
    (ख) कच्चे माल की उपलब्धता एवं आपूर्ति स्थानीय स्तर से हो सकें।
    (ग) चयनित गतिवधि गैर–प्रदुषणकारी एवं पर्यावरण के अनुकूल हो।
    (घ) वेतन एवं कर्मचारियों के हितो से संबंधित नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा।
19. यूनिट का साईज का निर्धारण करते समय इकोनॉमिक वायेबिलिटी का ध्यान रखा जावे। UIPA गतिविधियों से इतनी आय अवश्य हो कि प्रति व्यक्ति आय प्रचलित दैनिक मजदूरी दर से अधिक हो और इसका स्पष्ट उल्लेख डी.पी.आर किया जावे।
20. उपरोक्त नियम एवं शर्तो का यदि उल्लंघन किया जाता है तो प्रथम नोटिस में राशि रू. 25,000.00 अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा एवं 7 दिवस के भीतर कार्य सुधार हेतु समय दिया जायेगा। यदि सुधार नही किया जाता है तो पुनः द्वितीय नोटिस में राशि रू. 50,000.00 अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा एवं 7 दिवस के भीतर कार्य सुधार हेतु समय दिया जायेगा एवं तीसरी एवं अंतिम बार नोटिस जारी किया जायेगा जिसमें भी सुधार नही होता है तो 03 दिवस के भीतर टेंडर निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
21. भुगतान संबंधी विवाद की दशा में पहले भुगतान की लम्बित राशि नगर निगम कोष में जमा करनी होगी तद्पश्चात् आवेदन पर विचार किया जा सकेगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर, जिला–रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

Scanned by CamScanner

आवेदन पत्र

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग. केन्द्र,
जिला–रायपुर

1. आवेदित उद्यम का प्रकार –...
2. (क) पूरा नाम/एजेंसी का नाम एव पंजीयन क्र...
   (ख) अभिभावक/एजेंसी अध्यक्ष का नाम...
   (ग) वर्तमान डाक का पता..
   (जिस पर पत्र व्यवहार किया जावेगा)..
   (घ) स्थायी डाक का पता..
   (ड) मोब नं...
3. उद्यम आकांक्षा क्रमांक...
4. आधार नं...
5. डी.डी. का क्रमांक........................राशि......................बैंक का नाम शाखा सहित.............
   ....
6. इच्छुक उद्यम हेतु लगाए जाने वाली अधिकतम पूंजी..
   (आवश्यक दस्तावेज़ विवरण कोटेशन रुप से संलग्न कर सकते है)
7. इच्छुक उद्यम हेतु अधिकतम कर्मचारी नियुक्ति संख्या..
   (आवश्यक दस्तावेज़ विवरण कोटेशन रुप से संलग्न कर सकते है)
8. कर्मचारी को दिये जाने वाले मासिक वेतन...
   (वेतन श्रमायुक्त द्वारा जारी परिश्रमिक से कम ना हो)......................................
9. अन्य दस्तावेज़ो को संलग्न करे –
   - शैक्षणिक योग्यता
   - स्थायी निवासी
   - राशन कार्ड (अनिवार्य नही)
   - आधार कार्ड
   - प्रोजक्ट रिपोर्ट
   - अनुभव संबंधी दस्तावेज

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम..................................
पता..................................

घोषणा पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैने विज्ञापन जारी पात्रता की शर्तो को ध्यान से पढ़ लिया है। जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियॉ सत्य और सही है। मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी असत्य पायी जावेगी तो मेरा आवेदन निरस्त किया जावेगा। जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नही होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम..................................
पता..................................

स्थल..................................
दिनांक..................................

Scanned by CamScanner